हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उप.। बहस पर सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया। जिससे हम इस नतीजे पर पहुंचे है कि आराजीयात के संबंध में पक्षकारान के हकों का निर्धारण वाद में साक्ष्य व सबूतो के परीक्षण के पश्चात तथा गुणावगुण के आधार पर हो सकेगा। ऐसी सूरत में अनावश्यक मुकदमा बाजी नहीं बढ़े एवं कानूनी पेचीदगीयां पैदा नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा जारी शुदा अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.01.25 को तोफैसला मूल वाद पुष्ट किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा संलग्न मूल वाद हो।	
उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर) राज॰	